

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 26.12.2022 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 26.12.2022 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्रीमती मालिनी अग्रवाल
अति. महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर। सदस्य
2. श्री गोविन्द गुप्ता,
उप शासन सचिव,
गृह (गुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर। सदस्य
3. श्री विक्रम सिंह,
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर। सदस्य
4. श्री दिलबाग सिंह,
उप निदेशक,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जयपुर। सदस्य

पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 10.03.2022, 25.04.2022 व 18.05.2022 में अस्वीकृत/अग्रेषित 46 बंदियों के प्रकरणों की परिस्थितियों के परिवर्तन के बाबत पुनर्समीक्षा करने पर राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

1. स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

क्र. सं.	बंदी का नाम मय पिता का नाम	जेल का नाम, जहां बंदी सजा भुगत रहा है।	गृह जिला	विशेष विवरण
1.	देवा पुत्र भैरा	के.का. उदयपुर	उदयपुर	-
2.	चन्दूराम पुत्र भोंदूराम	के.का. श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	-

3.	सोमाराम पुत्र सोनाराम	के.का. जोधपुर	सिरोही	-
4.	शहजाद खां पुत्र लियाकत खां	के.का. जोधपुर	नागौर	-
5.	समसू पुत्र कमला	के.का. भरतपुर	भरतपुर	परिजन द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर।
6.	बिशनसिंह पुत्र सवाई सिंह	के.का. जयपुर	जोधपुर	-
7.	भैरूसिंह पुत्र रमसल्ली	वि.के.का. श्यालावास	दौसा	-
8.	हेमराज पुत्र बापूलाल	के.का. कोटा	कोटा	-
9.	देवा पुत्र भीमा	के.का. उदयपुर	उदयपुर	-
10.	प्रेमसिंह पुत्र दौलतसिंह	के.का. भरतपुर	अजमेर	-
11.	सुजान पुत्र अमरलाल	के.का. जोधपुर	झालावाड	-
12.	गजाराम उर्फ गजेन्द्र पुत्र लुम्बाराम	के.का. जोधपुर	बाड़मेर	-
13.	मोरपाल पुत्र श्रीकिशन	के.का. कोटा	बारां	-
14.	जोशनाथ पुत्र रामनाथ	के.का. जोधपुर	बाड़मेर	-
15.	रामधन पुत्र नाथूराम	जि.का. प्रतापगढ़ हाल-के.का. बीकानेर	नागौर	-
16.	वनाराम पुत्र वेलाराम	के.का. जोधपुर	पाली	परिजन द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर।
17.	नटवरलाल पुत्र कानजी	के.का. उदयपुर	बांसवाडा	-

18.	रामभरोसी सहनी पुत्र प्रीतम सहनी	के.का. जयपुर	सीतामढी (बिहार) हालजयपुर	परिजन द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर।
19.	अजय पुत्र होशियारसिंह	के.का. बीकानेर	भिवानी, हरियाणा	1/3 सजा पूर्ण होने पर
20.	धीमाराम पुत्र भैराराम	के.का. उदयपुर	जोधपुर	-
21.	रतना पुत्र अरूण सोनी	म.बं.सु.गृ. अजमेर	अजमेर	परिजन द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर।
22.	होरीलाल पुत्र सोनपाल	के.का. भरतपुर	धौलपुर	परिजन द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर।
23.	महेन्द्र कुमार पुत्र अखाराम	के.का. जोधपुर	जालोर	-
24.	चन्द्रशेखर पुत्र जयराम	के.का.जयपुर	सवाईमाधोपुर	-

2. अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण
राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अंतर्गत साधारणतया व नियम 4 (क) के प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने एवं अन्य कारणों से निर्मांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया :-

क्र. सं.	बंदी का नाम मय पिता का नाम	जेल का नाम, जहां बंदी सजा भुगत रहा है।	खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का कारण
1.	धर्मेन्द्र सिंह उर्फ राजू उर्फ वीरू उर्फ जोनी पुत्र तरसेमसिंह	के.का. श्रीगंगानगर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन
2.	रमेश कुमार पुत्र हरीशचन्द्र	के.का. उदयपुर	03 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
3.	हनीफ खां पुत्र गारू खां	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376(2)(जी) आई.पी.सी. में दण्डित होने के कारण।
4.	नारायण पुत्र लालूराम	के.का. उदयपुर	01 अन्य प्रकरण में (जमानत) विचाराधीन।

5.	प्रकाश पुत्र कानाराम	के.का. बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 397/34 आई.पी.सी. में दण्डित होने के कारण।
6.	शिवलाल पुत्र प्यारा	के.का. उदयपुर	एक अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
7.	पप्पूराम पुत्र देवाराम	के.का. जोधपुर	दिनांक 02.03.2007 से 09.05.2021 पैरोल से फरारशुदा।
8.	गोदाराम उर्फ गोदिया पुत्र मगाराम	के.का. जोधपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर)।
9.	बलबीर पुत्र बदनसिंह	के.का. अलवर	उद्योगशाला में कार्य नहीं करने पर अप्रैल, 2021 में परिहार के लाभ से वंचित किया गया।
10.	लायकराम पुत्र मंगलाराम	के.का. अलवर	दिनांक 09.05.2022 को जेलदण्ड से दण्डित।
11.	बाबूलाल पुत्र भंवरनाथ उर्फ भंवरलाल	वि.के.का. श्यालावास	अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
12.	अख्तर उर्फ मित्तल पुत्र मंगल	के.का. अलवर	05 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।


अग्रेषित प्रकरण :-


निम्नांकित प्रकरणों में बंदियों के नाम के सामने अंकित टिप्पणी/रिपोर्ट प्राप्त की जाकर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखे जावे :-


क्र. सं.	बंदी का नाम मय पिता का नाम	जेल का नाम, जहां बंदी सजा भुगत रहा है।	अग्रेषित किये जाने का कारण
1.	मीनू पुत्र लाल्या	वि.के.का. श्यालावास	दिनांक 18.06.2015 से 20.09.2016 तक नियमित पैरोल से फरारशुदा। फरारी के पश्चात् बंदी द्वारा पैरोल का लाभ क्यों नहीं लिया/मिला की रिपोर्ट।


2.	गजानन्द उर्फ गज्जा पुत्र कल्याण	वि.के.का. श्यालावास	दिनांक 30.08.2015 से 11.05.2016 तक नियमित पैरोल से फरारशुदा। फरारी के पश्चात् बंदी द्वारा पैरोल का लाभ क्यों नहीं लिया/मिला की रिपोर्ट।
3.	केसरसिंह पुत्र औंकारसिंह	के.का. कोटा	दिनांक 10.12.2017 से 12.01.2020 तक नियमित पैरोल से फरारशुदा। फरारी के पश्चात् बंदी द्वारा पैरोल का लाभ क्यों नहीं लिया/मिला की रिपोर्ट।
4.	शिवकुमार उर्फ शिबो पुत्र रणधीरसिंह	के.का. भरतपुर	दिनांक 09.04.2015 से 25.06.2019 तक खुला बंदी शिविर से फरारशुदा। फरारी के पश्चात् बंदी द्वारा पैरोल का लाभ क्यों नहीं लिया/मिला की रिपोर्ट।
5.	राजू उर्फ राजाराम पुत्र वरदाराम	के.का. जोधपुर	दिनांक 17.01.2019 से 31.05.2019 खुला बंदी शिविर से फरारशुदा। मानसिक रोगी होने के कारण संबंधित कारागृह से मानसिक स्थिति की रिपोर्ट।
6.	रमेश पुत्र किशनलाल	के.का. भरतपुर	दिनांक 22.05.1996 से 30.08.2017 तक पैरोल से फरारशुदा। फरारी के पश्चात् बंदी द्वारा पैरोल का लाभ क्यों नहीं लिया/मिला की रिपोर्ट।
7.	विष्णु कुमार पुत्र विनोद कुमार	के.का. भरतपुर	बंदी मूक बधिर है, खुला बंदी शिविर में रहकर क्या काम करेगा, बाबत रिपोर्ट।
8.	कौशल उर्फ सोनू पुत्र कानचंद	के.का. बीकानेर	दिनांक 20.02.2004 से 22.08.2016 पैरोल से फरारशुदा। फरारी के पश्चात् बंदी द्वारा पैरोल का लाभ क्यों नहीं लिया/मिला की रिपोर्ट।
9.	बनवारी पुत्र गणेश	के.का. बीकानेर	दिनांक 02.11.2014 से 18.11.2020 तक पैरोल से फरारशुदा। फरारी के पश्चात् बंदी द्वारा पैरोल का लाभ क्यों नहीं लिया/मिला की रिपोर्ट।


10.	किशन चौधरी पुत्र हीराराम	के.का. जोधपुर	दिनांक 28.08.2014 28.11.2019 तक	से पैरोल से फरारशुदा। फरारी के पश्चात् बंदी द्वारा पैरोल का लाभ क्यों नहीं लिया/मिला की रिपोर्ट।
-----	-----------------------------	---------------	------------------------------------	--


सदस्य
उप निदेशक
सामाजिक
न्याय एवं
अधिकारिता
विभाग,
जयपुर।


सदस्य
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य
उप शासन
सचिव, गृह
(ग्रुप-12)
विभाग,
राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य
अति.
महानिदेशक
कारागार
राजस्थान
जयपुर।


अध्यक्ष
महानिदेशक
एवं
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान
जयपुर।